

फर्द अहकाम

सोनु वगै०

बनाम

बंशी वगै०

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर  
केस सं० 142/2024

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.11.2024	<p>अधिवक्ता श्री राम सिंह द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>रु.</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	18.12.24	<p>वादीगण एवं अभिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मन्तव्य द्वारा IS/CPC बाबत वाद विद्वां एवं वीर सुनवार वेब का करने पर पत्रावली तलब की गई। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मिया में शहीनामा के जवाब हैं। तथा वादीगण वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वादीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण वाद को नहीं चलाना चाहते इसलिए वाद विद्वां करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद विद्वां करने की मना किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली जेलस सुमार होकर नबंट से कम होकर दाखिल दर्ज़र हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>रु.</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	<p>सोनु शर्मा बिहार शर्मा तक शर्मा सीमा देवी Identified 24 रु. (रामसिंह)</p>